न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर।

अपीलनम्बर 798/2020 (जीसीएमएस नम्बर 2020/00936)

1. मैसर्स राजस्थान प्रेस्टेस्ड कंक्रीट स्लीपर्स प्रा० लि0 कार्यकारी निदेशक
2. प्रहलाद दास गोयल पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण गोयल, निवासी– महान नं0 2447 गोयल भवन, तेलीपाडा, जयपुर ।

–अपीलांट्स

बनाम

1. मण्डल रेलवे प्रबन्धक/कार्य/पश्चिम मध्य रेलवे, कोटा

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत 23–ए राजस्थान पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी एक्ट, 1952 विरुद्ध निर्णय दिनांक 04.05.06 एवं आदेश दिनांक 11.05.06 पारित द्वारा अपर जिला कलक्टर/ वसूली/जयपुर

उपस्थित–

1. श्री हेमन्त सोगानी वकील अपीलान्ट
2. श्री बी.सी.बराड राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–18.03.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला अपर जिला कलक्टर वसूली, जयपुर के निर्णय दिनांक 04.05.2006 एवं 11.05.2006 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. अपील का संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि मण्डल रेल प्रबन्धक (कार्य), पश्चिम मध्य रेलवे, कोटा (प्रार्थी) ने अप्रार्थी श्री प्रहलाद दास गोयल, डायरेक्टर मैसर्स राजस्थान प्रेस्टेस्ड कंकरीट स्लीपर्स प्रा०लि०, सवाई माधोपुर के विरूद्ध रेलवे भूमि की लाइसेन्स फीस रेलवे विभाग को अदा नहीं करने के कारण 10,27,581–60 रूपये तथा 9 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूल किये जाने हेतु लोक अभियाचन अधिनियम, 1952 की धारा–3 के तहत निर्धारित प्रपत्र–1 में मांग पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र लोक अभियाचन वसूली अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत वसूली योग्य पाये जाने पर उक्त अधिनियम की धारा–4 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध लोक अभियाचन प्रमाण पत्र (ब्मतजपपिबंजम वि च्नइसपब क्मउंदक) दिनांक 28.04.03 को न्यायालय हाजा द्वारा जारी किया गया। तत्पश्चात् बाकीदारप्रार्थी से लोक अभियाचन वसूली अधिनियम, 1952 की धारा–14 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 28.04.03 से वसूली दिनांक तक 13 प्रतिशत ब्याज व 10 प्रतिशत लोक अभियाचन वसूली व्यय पृथक से वसूल किये जाने के आदेश दिनांक 04.05.06 को पारित किये गये।

3. अति0 जिला कलक्टर (वसूली) जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 04.05.2006से व्यथित होकर अपीलान्ट मैसर्स राजस्थान प्रेस्टेस्ड कंक्रीट स्लीपर्स प्रा० लि0 कार्यकारी निदेशकद्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलार्थीन

संभागीय आयुक्त
जयपुर

आदेश अति0 जिला कलक्टर (वसूली) जयपुर दिनांक 04.05.2006 एवं 11.05.06 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधिनस्थ न्यायालय का तहत रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. वकील अपीलार्थी ने बहस के दौरान अपील के कथनों को दोहराते हुये कथन किया किअधीनस्य न्यायालय के समक्ष एक रिकवरी रुपये 10,27,581–60 अपीलार्थी–1 मैसर्स राजस्थान प्रेस्टेक्ट कांक्रीट स्लीपर/प्रा. लि0 जयपुर/ विधिक व्यक्ति है और उसकी अपनी सम्पत्ति व विधिक अधिकार हैं/के विरूद्ध प्रस्तुत किया। जिसपर अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 4 कि डिमाण्ड रिकवरी एक्ट के अन्तर्गत उक्त बाकीदार कम्पनी के विरूद्ध अपने न्यायालय में प्रमाण–पत्र फाइल किया। यहां यह उल्लेखनीय है कि यूनियन आफ इण्डिया या रेलवे विभाग को राज0 डिमाण्ड रिकवरी एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत रिक्यूजीशन फाइल करने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार अतिरिक्त जिला कलेक्टर/वसूली/जयपुर/अति0 कलेक्टर, द्वितीय, जयपुर/ ने विधि और विरुद्ध धारा–4 केअन्तर्गत प्रमाण पत्र फाइल किया है धारा 5–6 आज्ञापक प्रावधानों के अन्तर्गतअपीलार्थी–1को कोई नोटिस आज तक नहीं दिया। इस प्रकार अपीलार्थी–1 को उत्तरदायित्व से मुक्त करते हुए, धारा–6 के अन्तर्गत मनमाने तरीके से नोटिस अपीलार्थी–2 के व्यक्तिगत नाम से दिया। जबकि बाकीदार कम्पनी की सम्पत्तियां मौजूद हैं। साथ ही अपीलार्थी –2 के विरूद्ध न तो कोई रिक्यूजीशन था और न ही धारा–4 के आज्ञापक प्रावधानों के अन्तर्गत मस्तिष्क का रंग कर कोई प्रमाण पत्र अति0 कलेक्टर/ वसूली/जयपुर ने अपने न्यायालय में फाइल किया था। इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी ने भी दिनांक 22.08.04 को अधीनस्य न्यायालय के समक्ष आवेदन कर कम्पनी की सवाई माधोपुर स्थित चल व अचल सम्पत्ति को नीलाम कर वसूली कार्यवाही करने की प्रार्थना की थी। इसके अतिरिक्त लेण्ड रेवन्यू एक्ट व इसके तहत बने नियमों के अनुसार भी जबतक कम्पनी की निजी सम्पत्तियों से वसूली की कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाती तब तक अपीलार्थीकी निजी सम्पत्ति से किसी प्रकार की वसूली कार्यवाही किया जाना कानून के विपरीत है।मामला निर्विवाद रूप से पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी एक्ट के अन्तर्गत पोषनीय नहीं है।अपीलार्थी–1 कम्पनी की सम्पत्तियां सवाई माधोपुर में स्थित हैं। तो धारा–5 के अन्तर्गत प्रमाण पत्र अग्रिम कानूनी कार्यवाही हेतु जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर को प्रेषित क्यों नहीं किया गया,अपीलार्थी–2 ने नोटिस अन्तर्गत धारा 6 का समूचित सबाब अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर विरोध किया था। परन्तु विद्वान् अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड पर आई साक्ष्य का विवेचन किये बिना व अपीलार्थी–2 द्वारा उठाये कानूनी मुद्दों का निपटारा किये वगैर ही अपना अपीलाधीन निर्णय दिनांक 4–05–06 व आदेश दिनांक 11–05–06 पारित कर दिया जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है।

6. रेस्पोडेण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील के कथनों का विरोध करते हुये कथन किया किरेलवे विभाग व मैसर्स राजस्थान प्रेस्टेस्ड कंकरीट स्लीपर्स प्रा०लि०, सवाई माधोपुर के मध्य हुए समझौता में प्रार्थी प्रहलाद दास गोयल ने ही हस्ताक्षर बहैसियत डायरेक्टर किये थे। अतः इस फर्म की अदायगियों के लिये श्री प्रहलाद दास गोयल व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है। प्रार्थी द्वाराकलक्टर सवाई माधोपुर को स्थानान्तरित करने का कथन केवल मात्र रेलवे विभाग की राशि वसूल होने में अनावश्यक विलम्ब करने के उद्देश्य से है। अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर (वसूली), जयपुर के द्वारा प्रकरण में नियमानुसार ही बाकीदार प्रार्थी से लोक अभियाचन वसूली अधिनियम, 1952 की धारा–14 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 28.04.03 से वसूली दिनांक तक 13 प्रतिशत ब्याज व 10 प्रतिशत लोक अभियाचन वसूली व्यय पृथक से वसूल किये

प्रभागीय आयुक्त
जयपुर

जाने के आदेश दिनांक 04.05.06 को पारित किये गये हैं जो कि उचित व विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

7. हमने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपीलांट का कथन है कि लेण्ड रेवन्यू एक्ट व इसके तहत बने नियमों के अनुसार भी जबतक कम्पनी की निजी सम्पत्तियों से वसूली की कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाती तब तक अपीलार्थीसंख्या 2 की निजी सम्पत्ति से किसी प्रकार की वसूली कार्यवाही किया जाना कानून के विपरीत है।जिससे जाहिर होता है कि प्रार्थी ने कम्पनी मैसर्स राज० प्रेस्टेस्ड कंकरीट स्लीपर्स प्रा०लि०के द्वारा (च्मजपजपवद क्मदलपदह स्पंइपसपजल) में बकाया राशि बाबत कोई विधिक/ठोस आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है अर्थात वह प्रार्थी रेलवे विभाग की राशि मुताबिक लोक अभियाचन प्रमाण पत्र बकाया होना तो स्वीकार करता है लेकिन इसके भुगतान के लिए कम्पनी मैसर्स राज० प्रेस्टेस्ड कंकरीट स्लीपर्स प्रा०लि० को जिम्मेदार मानता है स्वयं को नहीं।इस संबंध में हमारा विनम्र मतह कि दोनो पक्षों के मध्य हुए अनुबन्ध पत्र पर स्वयं प्रहलाद दास गोयल ने हस्ताक्षर किये है अतः श्री प्रहलाद दास गोयल बकाया राशि के भुगतान हेतु उतना ही जिम्मेदार है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (वसूली) जयपुर द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.05.06 एवं 11.05.06 पारित किया है। जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रृटि प्रतीत नहीं होती है। अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होती है।

अतः आदेश है कि: अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा जिला कलक्टर (वसूली) जयपुर द्वारा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.05.06 एवं 11.05.06 यथावत रखा जाता है।

(डॉ0आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 18.03.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।